

नागरकिता अधनियम, 1955 की धारा 6A

प्रलिमिस के लिये:

संविधान पीठ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नागरकिता अधनियम, 1955, असम समझौता, नागरकिता

मेन्स के लिये:

भारतीय नागरकिता की प्राप्ति और निधारण, नागरकिता अधनियम, 1955 में संशोधन

स्रोत: द हंडि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ द्वारा नागरकिता अधनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली वभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई।

- संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह मात्र धारा 6A की वैधता की जाँच करेगी, न कि असम राष्ट्रीय नागरकिता रजिस्टर (NRC) की।

नागरकिता अधनियम, 1955 की धारा 6A:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरकिता (संशोधन) अधनियम, 1985 के हस्ते के रूप में धारा 6A को अधनियमित किया गया था।

असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकना करना था।

- वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते द्वारा विशेष रूप से असम के लिये वर्ष 1955 के नागरकिता अधनियम में धारा 6A को शामिल किया गया था।

यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्तियुद्ध से पूर्व बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। यह विशेष रूप से 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश का निर्माण) के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनका निवासन अनिवार्य करता है।

धारा 6A इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के समक्ष विशिष्ट ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को संबोधित करती है।

प्रावधान एवं नहितारथ:

- धारा 6A ने असम के लिये एक विशेष प्रावधान किया जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को उस तथि के अनुसार भारत का नागरकि माना जाता था।

भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपना पंजीकरण करना आवश्यक था तथा कुछ शर्तों के अधीन 10 साल के निवास के बाद उन्हें नागरकिता प्रदान की गई थी।

- 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन्हें निवासित किया जाना था।

चुनौतियाँ:

- संवैधानिक वैधता:

अनुच्छेद 6:

- याचिकाकरताओं का तरक है कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरकिता से संबंधित है।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आया, वह स्वतः ही भारतीय नागरकि बन जाएगा यदि उसके माता-पति या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।

- इससे प्रावधान की कानूनी और संवैधानिक वैधता के बारे में चतिएँ उत्पन्न होती हैं।
- **अनुच्छेद 14:**
 - आलोचकों का तरक्कि है कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकती है, जो समता के अधिकार की गारंटी देता है।
 - इस प्रावधान को भेदभावपूरण माना जाता है क्योंकि यह वशिष्ट नागरिकता मानदंडों के चलते असम को अलग करता है।
 - यह प्रावधान केवल असम पर लागू है और यह चयनात्मक आवेदन प्रवासन के समान मुददों का सामना करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में समान व्यवहार और निषिपक्षता के बारे में चति उत्पन्न करता है।
- **जनसांख्यकीय प्रभाव:**
 - कुछ याचिकाकरत्ताओं द्वारा कथति तौर पर बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों की आमद बढ़ाने में योगदान देने के लिये धारा 6A के तहत नागरिकता देने की आलोचना की गई है।
 - चतिएँ अवैध प्रवासन को प्रोत्साहित करने के अनपेक्षित परणिम और राज्य की जनसांख्यकीय संरचना पर इसके परणिमी प्रभाव पर केंद्रित हैं।
 - याचिकाकरत्ताओं का तरक्कि है कि धारा 6A के तहत असम में प्रवासी आबादी को नागरिकता प्रदान करना "अवैधता को बढ़ावा देना" है।
 - उनका दावा है कि इन व्यक्तियों को नागरिक के रूप में मान्यता देने वाले इस प्रावधान का कई गुना प्रभाव देखा गया है, जिससे नरिंतर वृद्धि ही हुई है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:**
 - याचिकाकरत्ताओं का तरक्कि है कि वर्ष 1966 और वर्ष 1971 के बीच सीमा पार प्रवासियों को दिये गए लाभों से असम की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने वाले आमूल-चूल जनसांख्यकीय परिवर्तन हुए।

नागरिकता क्या है?

- **परचियः:**
 - नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच की कानूनी स्थिति एवं संबंध है जिसमें वशिष्ट अधिकार तथा करतव्य शामाल होते हैं।
- **संविधानकि उपबंधः**
 - भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के पहलुओं से संबंधित हैं, जैसे-जन्म, वंश, समीकरण, रजिस्ट्रीकरण और त्यजन व प्रवासन द्वारा नागरिकता का अर्जन।
 - नागरिकता संघ सूची में सूचीबद्ध है तथा इस प्रकार यह संसद की अनन्य वशिष्ट अधिकारता के अंतर्गत है।
- **नागरिकता अधिनियमः**
 - भारत में नागरिकता के मामलों को विनियमिति करने के लिये संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू किया है।
 - नागरिकता अधिनियम, 1955 को इसके अधिनियमिति होने के बाद से छह बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में किये गए थे।
 - नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था, जिसके तहत अफगानस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिंदू, सikh, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदायों के कुछ अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था।

विधिक दृष्टिकोण

नागरिकता के बारे में वसितार से पढ़ें

<https://www.drishtijudiciary.com/>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।

2. जो व्यक्तिजनम से नागरकि हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
3. जसि वदिशी को एक बार नागरकिता दे दी गई है, कसी भी परसिथिति में उसे इससे वंचति नहीं कया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/section-6a-of-the-citizenship-act-1955>

